UPJL010028002026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 310/2026
सुनील कुशवाहा प्रति राज्य उत्तर प्रदेश,

मुकदमा अपराध संख्या 283/2026
धारा 109 भारतीय न्याय संहिता व
धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

15.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त सुनील कुशवाहा पुत्र रामऔतार कुशवाहा निवासी ग्राम बघावली थाना रामपुरा, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 283/2026 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2026 को वादी मुकदमा हीरा सिंह द्वारा थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में इस आशय की फर्द बरामदगी दी गयी कि वह मय हमराह पुलिस बल थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 504/2025 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 वांछित व्यक्ति/वाहन में मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि आपके चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित एक व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे है वह बघौरा मरघटा के पीछे बैठा हुआ है तथा यह भी जानकारी मिली कि इसने थाना कोतवाली उरई जनपद में भी कई चोरियां की है। यदि जल्दी की जाये तो उक्त व्यक्ति को पकड़ा जा सकता। उक्त सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुंचकर चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना तो उक्त स्थान से व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ में मौजूद पुलिस बल में से मुझ उपनिरीक्षक द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया जो उक्त व्यक्ति के दांये पैर में लगी और वह व्यक्ति कराहकर वही गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसे गोली लग गयी है तथा आत्मसमर्पण करने के लिए चिल्लाने लगा। उपरोक्त के बारे में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि सुनील कुशवाहा उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 291/2025 धारा 303(2),317(2), 318(4),336(3), 338,340(2) बी0एन0एस0 व मुकदमा अपराध संख्या 502/2025 धारा 303(2),336(2),336(3),340(2),317(2) बी0एन0एस0 में वांछित चल रहा है। घायल व्यक्ति को तसल्ली देते हुए हमराही कर्मचारीगण से अंगोछा लेकर उसके घायल पैर में बंधवाया गया तथा नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम सुनील कुशवाहा बताया, जिसके दाहिने हाथ में एक अद्द तमंचा 315 बोर व पहने पैंट की बांयी जेब से एक अद्द जिन्दा कारतूस 315 बोर व दाहिनी जेब से 210 रूपये नकद व एक अद्द मोबाइल बरामद हुआ जो उसने स्वयं का बताया। मौके पर अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त देशी नाजायज तमंचा 315 बोर को खोलकर देखा तो तमंचे की नाल में एक फायर किया हुआ खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.25 11:34:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 21:15 बाजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा फर्द मौके पर तैयार की गयी। उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 17.05.2026 को ही थाना कोतवाली उरई जिला जालौन में अपराध संख्या 283/2026 पर धारा 25/27/3 आयुध अधिनियम व धारा 109 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। थाना कोतवाली उरई की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को ग्वालियर से पकड़कर लायी और झूंठे मुकदमों में मुल्जिम बना दिया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त से जो बरामदगी दिखायी वह गलत व झूंठ है। तथाकथित घटना में किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं आयी। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुकदमा अपराध संख्या 291/2025 धारा 303(2), 317(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बी0एन0एस0 व मुकदमा अपराध संख्या 502/2025 धारा 303(2), 336(2), 336(3), 340(2), 317(2) बी0एन0एस0 का जिक्र किया गया है, उसमें प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि थाना कोतवाली उरई की पुलिस ने उक्त केसों में फर्जी पुलिस मुठभेड़ की घटना दिखाकर झूंठा मुल्जिम बना दिया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या एवं अन्य प्रपत्रों का परिशीलन करा गया। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि उसके द्वारा पुलिस बल के ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अवश्य उल्लेख है कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा पुलिस बल में मौजूद उपनिरीक्षक रिंकू चौधरी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, परन्तु उपनिरीक्षक रिंकू चौधरी या किसी अन्य पुलिस कर्मी के घायल होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि पुलिस के द्वारा करी गयी फायरिंग में प्रार्थी/अभियुक्त के घायल होने का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से एक तमंचा बरामद करा गया है, परन्तु गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है।

मेरे विचार से मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सुनील कुशवाहा पुत्र रामऔतार कुशवाहा निवासी ग्राम बघावली थाना रामपुरा, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 283/2026 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 310/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुव0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) की धनराशि का व्यतिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर छोड़ा जाये।

दिनांक–15.06.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525